The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 3 | March 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

महात्मा गाँधी और डा॰ भीमराव अम्बेडकर पूना पैक्ट (1932)

डा॰ आकाश दीप

(स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता), राजनीति विज्ञान, Email: deepakash214@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.19542559

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 28-03-2026

Published: 10-04-2026

Keywords:

पूना-पैक्ट, कांग्रेस, अछूत, आन्दोलन, राजनीति

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध पत्र "महात्मा गाँधी और डा॰ भीमराव अम्बेडकर पूना पैक्ट (1932)" में डां. भीमराव अम्बेडकर के जातिगत व राजनीतिक विचारों पर अध्ययन करने के साथ ही आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका और महात्मा गाँधी के साथ उनके विचारों की भिन्नता व वैचारिक मतैक्यता पर भी विमर्श किया जाएगा। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश में स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख उन्नायक, शिल्पकार और स्वतंत्र भारत के प्रमुख संविधान निर्माता डां. भीमराव अम्बेडकर की जयंती का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जाता है, एवं महात्मा गाँधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को "स्वच्छता अभियान" के रूप में मनाया जाता है। "पूना-पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गाँधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर, 1932 को हुआ था।"[1] अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक प्रचार (काम्यूनल अवार्ड) में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया "लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 और केन्द्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई।"[2] द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरुप कम्यूनल अवार्ड की घोषणा की गई। जिसके तहत भीमराव अम्बेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग को मानते हुए दलित वर्ग को दो वोटों का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाना था। 16 अगस्त 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्मजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जिसमें दलितों सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का गाँधी जी ने विरोध किया 20 सितंबर 1932 को गाँधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया, 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद व मदनमोहन मालवीय के प्रयासों से गाँधी जी व अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता

हुआ जिसमें संयुक्त हिन्दू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी इस समझौते को पूना-पैक्ट भी कहा जाता है।

प्रस्तावना

डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1881 को मध्य प्रदेश के नगर महू के मध्यवर्गीय परिवार (महारस) में हुआ था उनके पिता रामजी जकपाल सैनिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत एक मुख्य अध्यापक थे। भीमा बाई के इस पुत्र ने माता की ममता का सुख मात्र 5 वर्ष की आयु तक भोगा। तत्पश्चात उनके पोषण का दायित्व मीराबाई पर पड़ा। कबीर विचारधारा से उनके पिता का संबंध था जो हिंदुओं पोषण जाति-प्रथा को स्वीकार नहीं करती। युवक भीमराव के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों के प्रति अपमान और तिरस्कार पूर्ण व्यवहार को देखकर वह मात्र मूकदर्शक ही नहीं रह सकते थे। उनके पिता के पास धनाभाव के कारण बड़ौदा के महाराजा से प्रार्थना की गई कि उन्हें 250 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दी जाए। स्नातक बन जाने पर महाराज बड़ौदा ने अपनी सेवा में उन्हें एक लेफ्टिनेंट बना दिया। "1913 में महाराज ने तीन अन्य विद्यार्थियों के साथ उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एम.ए. तथा पी.एच.डी. की उपाधियाँ प्राप्त कीं। कोलंबिया में उनके साथ समानता का व्यवहार किया गया जो भारत में उन्हें नहीं मिल सकता था।"[3] उनके 'भारत का राष्ट्रीय लाभांश' शीर्षक शोध प्रबंध, जो एक ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक निरूपण था, पर उन्हें पी.एच.डी. की उपाधि मिली। इस अनुभव ने उनके जीवन को नया रंग दिया और उन्हें अस्पृश्यों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने को बाध्य कर दिया। लिंकन तथा वाशिंगटन के जीवन तथा कृतित्व का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1916 में वह लंदन लौटे और वहां विधि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए ग्रुप इन और राजनीति शास्त्र के लिए London School of Economics में प्रवेश प्राप्त किया। छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने पर, समझौते के अनुसार उन्हें भारत लौटना पड़ा और महाराजा के सैनिक सचिव के रूप में सेवारत हो गए। अधिक काल तक वह राज्य की सेवा नहीं कर सके, क्योंकि शिक्षा संबंधी उनकी उत्कृष्टता के होने पर भी उनके साथ अस्पृश्यता जैसा दुर्व्यवहार किया गया। वह मुंबई लौट आए तथा वहां Sydenham College में 1918 में वह Political Economy (राजनीतिक अर्थव्यवस्था) के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1919 में वह महाराजा कोल्हापुर के संपर्क में आए जो लंदन में विधि और अर्थशास्त्र में अध्ययन पूरा करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने पर सहमत हो गए। 'रुपए की समस्या' शीर्षक अपने पुनः प्रस्तुत शोध प्रबंध पर London School of Economics द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। इस प्रकार भारत का एक अस्पृश्य युवक वैरिस्टर, पी-एच.डी. (अमेरिका) और डी.एस.पी (लंदन) हो चुका था।

अपने परिश्रम तथा बुद्धि के बल पर उन्होंने दिखा दिया कि किसी व्यक्ति की योग्यता इस बात पर निर्भर नहीं कि वह किस जाति, वर्ण में उत्पन्न हुआ है। इसका ऐसा कोई चित्र नहीं है जिसे वह स्वयं प्रभावित नहीं कर सकता अथवा स्वयं उससे प्रभावित नहीं हो सकता। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि लंदन में अपने प्रवास के समय उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और उदारवाद के मूल्यों का गहराई से अध्ययन किया और इस अध्ययन को उपयुक्त समय पर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी के रूप में इसका आधार बनाने का उन्होनें भरसक प्रयास किया। 1926 में वह मुंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। उन्होंने वहां यह दावा प्रस्तुत किया कि अस्पृश्य वर्ग क्योंकि एक विशिष्ट स्वतंत्र अस्तित्व है, अतः उनके लिए स्थान सुरक्षित किए जाएँ। उन्होंने मुंबई विधान परिषद की 140 सीटों में से 22 इस वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने की माँग की। इससे पता चलता है कि

नेतृत्व क्षमता उनमें शीघ्रता से उभर रही थी। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा आयोजित उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया जो भारत की भावी राज्य व्यवस्था के गठन के उद्देश्य से बुलाई गई थीं। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व से उन्हें अनुभव होने लगा कि एक प्रकार से यह अनुसूचित जातियों की स्वतंत्र स्थिति के प्रति मान्यता है। उन्होंने पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बलपूर्वक कहा कि निर्वाचन की दृष्टि से दलित वर्ग को एक प्रत्येक समुदाय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए तथा भारत को स्वशासन प्रदान करने वाले किसी भी संविधान को उन्हें उस समय तक स्वीकार नहीं करना चाहिए, जब तक उनकी मांगे उचित रूप से स्वीकार नहीं की जाती हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने साग्रह कहा कि सभी जातियों को अपनी अपनी संख्या के आधार पर उचित आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने पृथक मताधिकार का प्रबल समर्थन किया। 17 अगस्त, 1932 को घोषित रेम्जे मैकडॉनल्ड सांप्रदायिक अधिनिर्णय (Award) में दलित वर्ग को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उनके लिए पृथक मताधिकार की मांग की। उन्हें इसके माध्यम से सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया, इस प्रावधान के साथ कि 20 वर्ष के पश्चात आरक्षण की व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। अतः हम देखते हैं, "अस्पृश्य वर्गों के प्रथम बार एक स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व प्रदान किया गया, साथ ही अपनी मातृभूमि के भविष्य निर्माण का अधिकार भी नहीं दिया गया। इतिहास में इसे इस रूप में अंकित किया जा सकता है कि यह अस्पृश्य वर्ग के उन्नयन की डॉ. अंबेडकर की विचारधारा की विजय थी।"[4] पृथक मताधिकार के दलित वर्ग को दिए इस अधिकार के विरोध में 20 सितंबर 1932 में गांधी ने उपवास रखा तथा उस समय तक अनशन न तोड़ने की बात कही जब तक यह योजना वापस नहीं ली जाती। अंबेडकर ने गांधी जी के इस प्रस्तावित उपवास को प्रसिद्धि पाने की विज्ञापनबाजी की तिरस्कारपरक संज्ञा दी इसके लिए अंबेडकर पर अनेक निंदापरक विशेषण ‘नरपिशाच’, ‘देशद्रोही’, ‘भाड़े का टट्टू’ की बौछाड़ की गई। गांधी जी के उपवास पर उनका यह कथन, "महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है, न हीं कांग्रेस एक अमर संस्था, कई महात्मा आए और चले गए, किंतु अस्पृश्य लोग अस्पृश्य ही रहे"[5] के कारण वह राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी तीखी आलोचना के भाजन बने। सारे राष्ट्र की आंखें अंबेडकर पर टिकी थी। अन्ततः राष्ट्र की इच्छा के प्रति उन्होंने समर्पण कर दिया और यर्वदा जेल में गांधीजी से मिलने के पश्चात उन्होंने पुना पैक्ट में निर्दिष्ट उनकी शर्तों को मान लिया। इस पैक्ट के अनुसार मैकडॉनल्ड के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार पृथक मताधिकार के स्थान पर, दलित वर्ग के नेता ने यह स्वीकार कर लिया कि चुनाव दो चरणों में हों। प्रथम चरण में दलित वर्ग के लोग स्वयं चुनाव करेंगे। दूसरे चरण में सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा ऐसे चार निर्वाचित व्यक्तियों के लिए एक का निर्वाचन किया जाएगा। सीटों के निर्धारित कोटा में 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित की गई विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, परंतु डबल वोट का अधिकार समाप्त कर दिया गया। कुछ आलोचकों ने अपनी पूर्व स्थिति से गांधी जी के जीवन को बचाने के लिए विचलन को सराहते हुए उन्हें सच्चा राष्ट्रवादी बताया। परंतु अंबेडकर ने गांधी जी के जीवन को बचाने की अपनी भूमिका को अपनी विजय बताया। आश्चर्य की बात तो यह है कि "अस्पृश्य वर्ग के नेता के रूप में कांग्रेस ने मेरी स्थिति को पहले की भांति चुनौती देते हुए सहजता से स्वीकार कर लिया। सभी आँखें स्वभावतः मुझ पर थीं- इस आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति अथवा शांति के खलनायक के रूप में।"[6]

पूना पैक्ट क्या है-:

बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का,

जो चीरा तो एक कतरा-ए खूँन निकला।[7]

हम भोले लोगों ने 'महात्मा गांधी' यानि मोहनदास करमचंद गांधी को समझा अछूतों का रक्षक। यह समझ गलत थी या जायज इसे आज गांधी जी के विराट दर्शन से मालूम कर सकते हैं। हिंदुओं के पुराण कहते हैं, कि एक बार दानवेंन्द्र राजा वलि यज्ञादि कर्मों को करके सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। किंतु ब्राह्मणों के हिमायती देवता विष्णु को वह पसंद नहीं आया। ब्राह्मण ने अच्छा मौका देखकर राजा से तीन पैर रखने के लिए जगह मांगी, और दो पैरों में आकाश भूतल देखकर राजा से तीन पैर रखने के लिए स्थान मांगा। महाराज बलि ने सिर आगे करके प्रार्थना की, इसे भक्त के सिर पर रख सकते हैं। ब्राह्मण ने अपने तीसरे पैर से बलि को पाताल में पहुंचा दिया। तब ब्राह्मणों ने विष्णु के इस कार्य से प्रसन्न होकर उनकी पूजा की, फुल बरसाए। "यह पुराणों की कथा है, किंतु इसका अक्षरशः नमूना 'गांधी-एण्ड-कंपनी' से मिलता है। बलि रुपि अंबेडकर के साथ ब्राह्मणरूपी गांधी ने वही सब कुछ किया, जो विष्णु ने अपनी चाल से महाराजा बलि के साथ किया था। गांधी जी के वचनों पर विश्वास कर लिया। उन्होंने सोचा, अगर इन्हें अपने वचनों पर अमल करने का मौका नहीं दिया। तो शायद दुनिया कह उठे कि अंबेडकर अदूरदर्शी थे। अतः उन्हें पापों के प्रायश्चित का मौका नहीं दिया। एक और था दुराग्रही और दूसरी ओर था 10 करोड़ अछूतों के राजनीतिक अधिकारों पर वज्रपात। एक तरफ थी कृतघ्नता और दूसरी ओर था कर्तव्य एवं लोकभय। बाबा साहेब ने कर्तव्य-पूर्ण लोकायुक्त की अवहेलना नहीं की।"[8] इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर ने दुराग्रही, नहीं-नहीं सत्याग्रही, गांधीजी को जीवन दान देना उचित विचारा, और अछूतों के महान नेता ने अपने को एवं सारे अछूत समाज को लोक लांछन से बचा लिया तथा 10 करोड़ अछूतों के हकों की हार मान ली। वस्तुतः यह हार ही अछूतों की जीत थी। ब्राह्मण कुल रक्षक गांधी जी हिंदुओं की इसी हार जीत का नाम है- 'पूना-पैक्ट' इससे पूर्व अछूतों को जीवन में रोने का और भी एक मौका मिला था वह था सन 1931 का एक दिन। लंदन में बरतानिया ने अपने वायदे के अनुसार गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। जिसमें सवर्ण हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख और अछूत सभी को हुकुमत में हिस्सा मिलने की बात थी। लेकिन कांग्रेस ने सारे भारत के प्रतिनिधि होने की दावेदारी का दम भरते हुए गाँधी जी को सदल बल गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए चुना। यह खिलाड़ियों का खेल था। जो दाँव पेंच में सिद्धहस्त थे, उसी के गले में जयमाला पहनाई जाती थी। कॉन्फ्रेंस में बाजियाँ लगी। गांधी जी एक-एक करके सबसे हारते गए और हार मानते भी गए। लेकिन जब अछूतों की बारी आई, तब हार मानने की बजाय आप जिद्दी बन गए। कॉन्फ्रेंस में धरना दे बैठे। कहने लगे- "अछूतों को कोई राजनीतिक अधिकार दिए गए तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा या खुद राख बनकर उडूंगा और सबकी आंखों को अंधा कर दूंगा।"[9] सब घबराए, मगर अछूतों के महर्षि इन चाल भरी धमकियों से विचलित नहीं हुए। बल्कि अपनी विद्वत्ता और तर्कशक्ति से गांधी जी के हठ को व्यर्थ ही नहीं किया, अपितु अपनी न्यायोचित मांग को भी मनवा लिया। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ बनावट। सच्चाई की जीत हुई। गांधी जी को मुंह की कहानी पड़ी। यूरोप में चारों और आवाजें कसी गई कि "दूसरों से आजादी मांगने के पहले करोड़ों अछूतों को जो गुलामों से भी बदतर हैं, अपने चुंगुलों से आजाद करो, तब तुम अपनी आजादी के हकदार होंगे।"[10] कर्तव्य-शून्य, बुद्धिविहीन, किंकर्तव्य-विमूढ गांधी जी की माया वहां तो चल न पाई लेकिन वहां से वापस होकर हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखते ही आपने अपना जाल बिछा दिया। जो बात यूरोप की धरती पर अपनी कूट चालों से न कर सके थे, उसे हिंदुस्तान लौटकर वहां की थोथी धार्मिक भावनाओं पर खेल गए और अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर क्या पूछना था हिंदू को मौका मिल गया। ब्राह्मण बनियों ने ऐसा अवर्णनीय और अकथनीय षड्यंत्र रच दिया जिसे अछूतों को फिर धरती से पाताल तक पहुंचाने का रास्ता निकल आया। उसी षड्यंत्र का नाम है- "पूना-पैक्ट"

पूना-पैक्ट

पुना में अछूतों के साथ हिंदुओं का जो पैक्ट हुआ, उसकी प्रमुख धाराएं इस प्रकार है—

1. विभिन्न प्रांतो में संयुक्त निर्वाचन में दलितों के लिए काउंसिल में नीचे लिखे अनुसार सीटें सुरक्षित रहेंगी—

सुरक्षित सीटों की संख्या[11]

क्रम	**राज्य**	**सीटों की संख्या**
1.	मद्रास	30
2.	बम्बई सिंधा	15
3.	पंजाब	08
4.	बिहार उड़ीसा	18
5.	मध्य प्रांत	20
6.	आसाम	07
7.	बंगाल	30
8.	संयुक्त प्रांत	20
	कुल सीटों की संख्या	148

2. इन सीटों का निर्वाचन संयुक्त प्रणाली से होगा। लेकिन निम्नलिखित कार्यवाही की शर्तें उसमें रहेंगे। चुनाव के रजिस्टर में अंकित दलित वर्ग के सभी सदस्य निर्वाचन की एक गोष्ठी बनाएंगे, जो प्रत्येक सुरक्षित सीट के लिए दलितों को चुनेगी और प्रारंभिक चुनाव में इस प्रकार सबसे अधिक वोट पाने वाले चार व्यक्ति चुनाव के उम्मीदवार होंगे।

3. इसी प्रकार केंद्रीय परिषदों के लिए भी संयुक्त निर्वाचन के आधार पर दलितों को सीटें मिलेंगी।

4. ब्रिटिश भारत की 18 सीटें उनके केंद्रीय संघ के लिए सुरक्षित रहेंगी।

5. यह प्रारंभिक चुनाव की प्रणाली शर्त 6 के अनुसार आपसी समझौते से 10 वर्ष तक चलेगी।

6. इस समझौते से (1) और (4) दफाओं में की गई शर्तों के अनुसार सुरक्षित सीटों की प्रणाली जारी रहेगी।

7. लोथियन रिपोर्ट के अनुसार दलितों को मताधिकार होगा।

8. लोकल बोर्डों के चुनाव और नौकरियों के संबंध में दलितों को कोई रुकावट नहीं होगी। उन्हें यथोचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए भरसक चेष्टा की जाएगी।

9. हर प्रांत में शिक्षा के लिए खास रकम दलितों के लिए पृथक निकल जाएगी। यह है 'वरदान' और 'ऐतिहासिक घटना' जिसकी तारीफ करते-करते गांधी जी के पिट्ठू नहीं थकते, न उनकी लोह लेखनी घिसती है और न जबान ही। आईये, प्रधानमंत्री की घोषणा और गांधी जी के वरदान में क्या भेद हैं, इस पर भी तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें।

	घोषणा	**पूना-पैक्ट**
	(1)सुरक्षित सीटें	
(1)	अछूतों की भलाई के लिए कुछ सीटें हिन्दुओं से अलग निश्चित की गई।	सीटें अवश्य सुरक्षित रखी गई। परन्तु गोलमेज करके उनकी अहमियत मिटा दी गई। अछूतों के अधिकारों पर ऐसा हमला किया गया कि साँप मरे पर लाठी न टूटे। गले पर ऐसा नश्तर लगाया गया कि काटते समय महसूस भी न हो और गला भी कट जाए।
	(2) दो वोट	
(1)	सिर्फ अछूतों को ही दो वोट, एक अपने चुनाव में और दूसरा हिन्दुओं के चुनाव में, देने का हक था। इससे अछूतों का सिर ऊँचा उठता और सवर्णो को झुकना पड़ता। हिन्दु धर्म शास्त्रों की बातें भी काफूर हो जाती।	इसमें हिन्दुओं को भी वही अधिकार मिला जो अछूतो को मिला था यही कारण है कि हमारा अस्तित्व मान लेने पर भी हमारी गुलामी दूर करने का भार इन्ही के कन्धों पर रहा। इससे इन्हें अपने खादिम बुद्धुओं को चुनने का मौका मिला जहाँ कहीं भी जाग्रत अछूत हिन्दुओं से वोट माँगने गए वहाँ उन्हें लाठियां, गोलियाँ और गालियाँ ही मिली।
	(3) निर्वाचन	
(1)	अपने ही वोटों से सीधे-सादे तरीके से होना था। इसमें हिंदुओं से कोई मतलब न था। यह निर्णयात्मक होता। इस सीधे-सादे तरीके से चुने हुए हमारे प्रतिनिधियों पर हमारा अपना प्रभुत्व होता है थोड़ा सा कर्तव्यच्यूत होने पर हमारे दंड के भागी होते। ऐसी अवस्था में सिर्फ अछूतों के वोटो से चुने हुए हमारे ये प्रतिनिधि बेधड़क होते और विधानसभाओं में अपनी मांग मनवाते।	यहां यह ठगीपन और धूर्त्तता से भरा पड़ा है। पहले चार आदमियों का एक पैनल बनेगा। प्राइमरी इलेक्शन में सब कुछ बर्बाद करने के बाद चारों ही अपने में से एक को चुनने के लिए इन हमारी जन्मजात शत्रु ब्राह्मण बनियों से कहेंगे। ऐसी अवस्था ये ब्राह्मण बनिया जिसे अपना गुलाम समझेंगे उसे ही अपने वोटों बल पर चुनकर ले जाएंगे। यही सब सन 1937 और 1946 के चुनावों में हुआ।

एक बात यह है याद रखने की है कि अछूतों की इच्छा के विरुद्ध इस "वरदान" के समय गांधी जी ने स्वयं हमारे बाबा साहेब अंबेडकर से कहा था कि आने वाले अछूतों के इलेक्शन में हिंदू या कांग्रेस प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से कोई भाग न लेगी। गांधी जी की जबान पर हमारे महर्षि ने पूर्ण विश्वास कर लिया था। लेकिन सन 1937 और 1946 के इलेक्शन में यह चमड़े की जबान

फिसल गई। हमने देखा कि महात्मा के वचनों का सत्य और अहिंसा के पुजारियों ने किस तरह पालन किया। भला यह कैसे होता कि ये 'महात्मा' अपने पूर्व पुरुषों की प्रणाली को त्याग देते। पाठक को ज्ञात होगा की 'रामायण' में इनके सत्यवादी रामचंद्र ने बाली को और 'महाभारत' के गीता के प्रचारक श्री कृष्ण जी के घटोत्कच और अश्वत्थामा को किन-किन धोखे से मारा था। फिर वें 'महात्मा' और उनके अनुयायी अपने पूज्यों के 'आचरण' को कैसे छोड़ देते। मुंबई शेड्यूल्ड कास्ट फैडरेशन के प्रधान के प्रश्न करने पर 26 जुलाई 1946 की 'हरिजन' में इस महात्मा ने लिखा था कि अछूतों के इलेक्शन में हिंदू प्रत्यक्ष रूप से कोई भाग न लेंगे। अगर कोई लिखित प्रमाण हो तो दिखाएं। महात्माजी! यह कोई नई बात नहीं है। बात कह कर मुकर जाना तो हिंदू महात्माओं का सनातन धर्म है। भला कांग्रेस का संत सिद्धांत का अपवाद कैसे होता।

महात्मा गाँधी ने क्या नहीं किया?

दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस में हिंदुस्तान के नेताओं और गांधी जी में काफी ले-दे हुई। अछूतों की मांग को कुचलने के लिए गांधी जी ने मुसलमानों से एक गुप्त संधि भी की। श्री जिन्ना से गांधी जी ने कहा- "मैं तुम्हारी सब शर्तें मानने को तैयार हूं यदि तुम मेरे साथ मिलकर अछूतों की मांग का विरोध करो।"[12] परंतु श्री जिन्ना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और कहा- हम जब स्वयं अल्पसंख्यक होने के कारण जब विशेष अधिकार चाहते हैं, तो फिर दूसरे अल्पसंख्यकों की मांग का विरोध कैसे कर सकते हैं? गोलमेज कांफ्रेंस में गांधी जी ने एडी चोटी का जोर लगाया, उसकी करतूत को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस महात्मा का महात्मापन भी शरमा रहा था, इतने पर भी जो होना था, वही हुआ! होने को कोई टाल नहीं सकता।

अछूतों के अधिकार और कांग्रेसी नेता

संविधान का तीसरा वाचन समाप्ति पर था, इसी बीच में बाबा साहब ने अछूतों के अधिकारों का प्रश्न उठाया। सर्वश्री नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कन्हैयालाल मुंशी आदि ने बाबा साहेब के प्रस्ताव का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा- "जब संविधान के सिद्धांतों में एक ऐसी धारा जोड़ी गई है जिससे अछूतपन सदा के लिए नष्ट कर दिया गया है, फिर अब भारत का कोई मनुष्य अछूत नहीं है।"[13] किंतु यह सरासर धोखा था। बाबा साहब ने कहा- "कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी मैं इस संविधान सभा में चुनकर आया हूँ। संविधान को मैंने अपने स्वास्थ्य को नष्ट करके इसलिए बनाया है कि अछूतों और पिछड़े वर्ग की कुछ भलाई कर सकूँ। केवल प्रस्ताव पास कर देने से करोड़ों अछूतों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति नहीं हो सकती।"[14] कागजी घोड़ो ने कभी घुड़दौड़ में भाग नहीं लिया है। अछूतों की उन्नति तभी हो सकती है, जब उन्हें सरकारी नौकरियों, विधानसभाओं और लोकसभाओं में आबादी के अनुपात से सुरक्षित सीटें मिले। गांधी जी के उपवास के काल में माता कस्तूरबा की करुणा पूर्ण प्रार्थना के कारण मैंने सन 1932 में अछूतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को त्याग कर संयुक्त चुनाव के सिद्धांत को अपना सहयोग दिया था। गांधी जी और दूसरे हिंदू नेताओं ने मुझे विश्वास दिलाया था कि वें 10 वर्षों में अछूतों की अवस्था को दूसरे हिंदुओं के बराबर ले आएंगे। पूना-पैक्ट ने अछूतों के साथ जो अनर्थ किया है वह किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं आपके सहयोग से इन निरीहों के उध्दार की जिम्मेदारी को संविधान का भाग बनाना चाहता हूँ। यह सारे राष्ट्र का परम कर्तव्य होगा कि उनकी भलाई के संबंध में सोचें। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आने वाले 20 वर्षों तक या इससे भी ज्यादा सालों तक याद जब तक अछूत दूसरे नागरिकों की भांति सुखी नागरिक न बन जाए तब तक सरकारी नौकरियों, स्कूल कॉलेजों और विधानसभा में उनके लिए सुरक्षित स्थान होना चाहिए। उनकी जनसंख्या के अनुपात से ही प्राप्त और केदो के मंत्रिमंडल में अछूत

मंत्री होने चाहिए। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ। मैंने तीस वर्षों में इस संविधान को बनाया है, उस सारी मेहनत के फलस्वरुप मैं अपने समाज में आने वाली संतानों की भलाई चाहता हूँ। बाबा साहेब के इस भाषण के बाद कांग्रेस के महारथियों ने खूब धुआँधार भाषण किये। समानता की व्याख्या भी की। किसी ने गीता की वाणी को दोहराते हुए कहा कि इस संविधान के अनुसार शासको की दृष्टि सभी देशवासियों पर समान होगी, इत्यादि। जैसा जिसके मन में आया, जोश के साथ बोला।

बाबासाहेब ने जब देखा कि कोई भी उनके प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, तब उन्होंने कहा- "अगर पतित और पिछडें समाज की भलाई के लिए सुरक्षित स्थान न रखे गए और इसे संविधान का भाग ने बनाया गया, तो मैं संविधान सभा से वॉक आउट करूंगा ताकि आने वाले इतिहास के पन्नों में यह लिखा रहेगा कि जब भी अछूतों की भलाई का प्रश्न आया, तभी हिंदुओं ने किस प्रकार उनका विरोध किया।"[15]

इस कथन के बाद वे मीटिंग से उठकर चले गए। कहा जाता है, वह दो-तीन दिनों तक मीटिंग में भाग लेने नहीं गए। इसी बीच श्री मुनिस्वामी पिल्लै और दूसरे कुछ अछूत सदस्यों ने बाबासाहेब को विश्वास दिलाया कि कुछ अछूत सदस्य भी बाबासाहेब के साथ ही संविधान सभा का बायकाट करेंगे। कांग्रेस के महारथियों में खलबली मची गई। अंत में उन्होंने बाबा साहब से कहा कि वे अछूतों की भलाई के लिए संरक्षण की धाराएं जोड़ सकते हैं। तब बाबा साहब ने आत्मनिर्णय की बात के स्थान पर जनसंख्या के अनुपात में सुरक्षित स्थानों को माना। पूना पैक्ट के धूर्तता पूर्ण चार पैनल की बात को उड़ा दिया। निर्वाचन हिंदू और अछूत दोनों सीटों के लिए अपना मत दे सकेगा। पीपुल्स एक्ट के अनुसार यह तय हुआ कि अगर हिंदू और अछूत सीटों में अछूत उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलेंगे, तो अछूत की सीट हिंदू सीट बन जाएगी और दूसरी रिजर्व के स्थान पर दूसरे अछूत को चुना हुआ समझा जाएगा। इस संधि के बाद बाबा साहब ने संविधान का तीसरा वाचन पूरा किया। 26 नवंबर, 1949 को केंद्रीय हाल में दोनों सदनों के सदस्यों की ऐतिहासिक बैठक हुई। इसी में संविधान को 26 जनवरी, 1950 से पूरी तरह से लागू करने का निर्णय किया गया। उस दिन संविधान सभा के इस ऐतिहासिक अधिवेशन के सभापति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस अधिवेशन में बाबा साहेब के महान कार्य की सभा ने स्तुति की।

अम्बेडकर के प्रेरणास्रोत-:

डॉ अंबेडकर इन महान चिरस्थायी महत्व की कृतियों से उभरकर आते हैं एक साहित्यिक प्रतिभा के रूप में, परंतु यह परिचायक है उनकी बहुमुखी प्रतिभा तथा कुशाग्र बुद्धि की भी। उल्लिखित रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने ऐसे अनेक लेखों का प्रणयन किया जिन्होंने समाज तथा राष्ट्रीय मानस पर अमिट छाप छोड़ी है। डॉ. अम्बेडकर ने मराठी साप्ताहिक 'हूक नायक' का जनवरी 1920 में प्रकाशन आरंभ किया। इसका उद्देश्य था समाज के इस वर्ग की समस्याओं को दर्शाकर उनके समाधानार्थ लोगों में जागृति उत्पन्न करना। 'बहिष्कृत भारत' नाम से 3 अप्रैल, 1927 को उन्होंने एक अन्य पाक्षिक पत्र प्रकाशित किय। इसमें समाज के अशक्त वर्गों की कठिनाइयों को प्रकट करने के साथ उनके चिरकालीन अप्रदत्त अधिकारों को उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्राप्त कराने का अनुरोध किया गया था। "दिसंबर, 1930 में उन्होंने एक अन्य साप्ताहिक पत्रिका 'जनता' का प्रकाशन किया जिसने ऊँच, नीच, संपन्न, दरिद्र के भेद सहित समाज के प्रवक्ता की भूमिका निभाई। इक्वलिटी एक अन्य अंग्रेजी पत्र था जिसमें उन्होंने समानता और संगठन को विज्ञापित किया।"[16] इन पत्रों ने पूरे समाज को एक नया दर्शन दिया और उनके विचारों की दिशा

को बदल दिया। वास्तव में, इन पत्रों में बाबा साहेब के मौलिक चिंतन और उसके युक्तिसम्मत विश्लेषण के साथ-साथ उनके देश प्रेम को भी अभिव्यक्ति मिली है।

उपसंहार

"**महात्मा गाँधी और डा॰ भीमराव अम्बेडकर पूना पैक्ट (1932)**" के इस उत्तरार्द्ध में उन प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया है जो इस पैक्ट के बाद इसे व्यावहारिक रूप देते समय संघटित हुई। इसमें हमारे उसे मुक्ति आंदोलन के इतिहास की झलक है जिसके संचालन में हमारे महान नेता और हमारे हृदय देव पूज्य बाबा साहब ने अपने अनमोल जीवन को समर्पित किया। इसे पढ़ने से नई पीढ़ी के शिक्षकों को पता चलेगा कि हमारा जातीय संघर्ष किन-किन और कैसी कठिन राहों से गुजरता हुआ आज किस रूप में हमारे सामने है और हमारे त्राता, हमारे सिरमौर और हमारे महान नायक ने समय-समय पर हमारे लिए क्या-क्या उपदेश और क्या-क्या आदेश दिए हैं। तथा देश की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में अपनी जातिय जीवन की समुन्नति के लिए हमारा क्या कर्तव्य है।

शोधार्थी को आशा है कि इसके पढ़ने से पाठकों का मार्गदर्शन होगा, वह अपने हितैषियों और विरोधियों को पहचानेंगे तथा अपने पैगंबर के सुझाए पथ के सुदृढ़ अनुगामी बनेंगे।

मुझे बताओं! हमारे लिए
जातिवाद का जाल कौन बिछाता है?
हमारी राह पर ऊँच नीच का गतिरोधक
कौन और क्यों खड़ा करता है?
अज्ञान के अँधयारे में हमें कौन धकेलता है?
अन्याय की आग में हमें कौन जलाता है?
अस्पृश्यता की नागिन, हमारे आँगन में किसने छोड़ा है?
हमें हीन बनाकर इंसानियत का गला किसने घोटा है?
कविता को हम चने जैसा चबाते नहीं
कविता के बिना हम कभी जीते नहीं
तुम्हारे लिए कविता गुदगुदी होगी
अध्यात्म की गोली होगी
हमारे लिए कविता बिजली होती है
तुम्हारे ऊपर ब्रज की तरह गिरती है, तो हम क्या करें?
कवित्व, नहीं शारदा की देन,
नहीं, पूर्व जन्म या संस्कारों से प्राप्त
धर्म का दान, परंपरा की दक्षिणा,
या वरदान है किसी भगवान की

प्रतिभा होती है प्रकृति की देन
इसलिए अछूतों के हाथों आयी प्रतिभा की कलम।

संदर्भ सूची-:

1. बरनवाल, अनूप (2017) “निर्माण पुरुष डां. अम्बेडकर की संविधान यात्रा” लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ सं॰ 47
2. पीयूष, जगदीश (2013) "गाँधी और दलित नवजागरण" यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं॰ 98
3. सिंह, मुकेश (2012) "डां. भीमराव अम्बेडकर" वंदना पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं॰ 108
4. श्रीवास्तव, डां. वीरेन्द्र कुमार (2007) "विश्व शान्ति के मसीहा: महात्मा गाँधी" शिवांक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं॰ 204
5. सिन्हा, मनोज (2008) "गाँधी अध्ययन" ओरियंट लाँग्मैन, आस्था प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ सं॰ 78
6. जनसत्ता, 12 अप्रैल 2013, नई दिल्ली, पृष्ठ सं॰ 7
7. चौधरी, डां. प्रताप (2020) "अम्बेडकर और दलित चेतना" विश्वभारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं॰ 167
8. शर्मा, डां. नीरजा (2013) "गाँधी चिन्तन में लोकतंत्र" आस्था प्रकाशन,जयपुर, पृष्ठ सं॰ 69
9. मिश्रा, डां. एम के (2020) "गाँधी का आर्थिक चिन्तन" अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ सं॰ 217
10. रंजन, रवि और कुमार, मनोज (2021) "डां. भीमराव अम्बेडकर" कल्पना प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं॰ 94
11. राष्ट्रीय दैनिक जागरण, 14 अप्रैल 2017, नई दिल्ली, पृष्ठ सं॰ 8
12. दाधीच, डां. कमल (2021) "गाँधी राष्ट्रीय अवधारणा और आयाम" अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ सं॰ 138-139
13. माथुर, प्रदीप (2010) "महात्मा गाँधी और अम्बेडकर" इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृष्ठ सं॰ 148
14. मोदी, प्रो. नृपेन्द्र प्रसाद (2021) "गाँधी का समर्थ भारत" के॰ के॰ पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं॰ 149-150
15. माथुर, प्रदीप (2010) "महात्मा गाँधी और अम्बेडकर" इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृष्ठ सं॰ 225

पीयूष, जगदीश (2013) "गाँधी और दलित नवजागरण" यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, पृष्ठ सं॰ 155